

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 62/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/123)

निर्णय दिनांक:- 13.09.2023

1. सुभाषचन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 28-03-1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28-03-1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 12 पीबी (बी) के मुरब्बा नम्बर 119/60 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ही अन्य को आवंटित होने के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-03-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 19-04-22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

कय
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-03-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 19-04-2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते 12 पीबी (बी) के मुरब्बा नम्बर 119/60 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित भूमि होने के कारण अपीलांट के आवेदन पर आवंटन संबंधी कोई विचार नहीं किया जा सकता। अतः आवेदन पत्र खारिज किया जाता

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका में दिनांक 23-12-1995 को प्रार्थी/अपीलांट को सूचित किये जाने का कथन करते हुए अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि गजट में प्रकाशित है तथा वांछित सबूत यथा मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सीलिंग सीमा से भूमि कम होने का शपथ पत्र, निर्वाचन सूची की प्रमाणित प्रति, सद्भावी काश्तकार होने का प्रमाण पत्र आदि पेश करें तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक




28/1
राजस्थान उच्च न्यायालय
सीकानेर

31-12-1995 अंकित की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन पर यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को इस संबंध में किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया है तथा दिनांक 31-12-1995 के उपरान्त पत्रावली सीधे ही दिनांक 20-12-1997 को पेशी में ली जाती है अर्थात् दो वर्ष तक उक्त पत्रावली में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उल्लेखनीय यह भी है कि दिनांक 23-12-1995 की आदेशिका में यह कहीं अंकित नहीं किया गया था कि उक्त भूमि के आवंटन हेतु पूर्व में भी अन्य किसी व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखे हैं इसका कोई हवाला नहीं किया गया है, जिससे साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर रखा था। तब ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत अपीलांत के आवंटन प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज करना कि प्रार्थी के अलावा अन्य आवेदक के उपस्थित आने पर भूमि आवंटित की जा चुकी है, युक्तियुक्त व तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई चालान भी जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:—**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and Applications were inviting for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.**


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट 11 पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभिलिखित किया गया है कि नियम 13-ए (5) (4) - प्रोविजो के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति नियम 7 (1) के प्राथमिकताओं में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो भी उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी, यदि ऐसी अनावंटित भूमि के आवंटन के लिये अन्य आवेदकों के कोई आवेदन लम्बित नहीं हो। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-03-1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर विशेष आवंटन नियम 13ए में उल्लेखित पात्रता की शर्तों की जाँच करते हुए नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक **13.9.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपीलाधीन अधिकारी
बीकानेर